न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 220/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/420**

दायर दिनांक :– 31.07.2025 **निर्णय दिनांक :– 27.03.2026**

01. गंगाविशन पुत्र बुधरराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी
02. गोपूराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी
03. पूनाराम पुत्र बुधरराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी
04. पांची देवी पत्नी बुधरराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी
05. बरसींगाराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी
06. मंगलाराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी
07. रामलाल पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी
08. सुगनी पुत्री बुधरराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी
09. समदा पुत्री बुधरराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी
10. सुमन बिश्नोई पुत्री बुधरराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी
11. हेतराम पुत्र बुधरराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी
12. मंगलाराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी कलराबाबेरा तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थीगण–

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार, बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 12 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 105/1 रकबा 7.8347 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा कलराबाबेरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि खरीद की थी और विक्रय पत्र के आधार पर तत्कालीन पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के खाते राजस्व अभिलेख जमाबंदी में सरासर गलत रूप से अलग–अलग कायम कर दिये जबकि नियमानुसार खरीद के आधार पर खाते अलग–अलग कायम नहीं किये जा सकते है। विक्रय पत्र के आधार पर सरासर गलत रूप से खाते राजस्व अभिलेख में जमाबंदी में अलग–अलग कायम कर दिये जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि नक्शा लट्ठा में सामलाती दर्ज रही है। प्रार्थी का मौके पर उक्त तरमीम से भिन्न कब्जा व काश्त चला आ रहा है और प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के चारों ओर खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है और खूंटे रोपे गये भूमि में प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

लेता आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी कब्जा काश्त वाली भूमि में रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश एवं बिना मौके की जांच किये ही अपने ऑफिस में बैठे ही तरमीम प्रार्थी से बाले–बाले एवं प्रार्थी को सूचित किये बगैर ही कब्जा काश्त के विपरित कर दी है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त उक्त तरमीम के विपरित चला आ रहा है। उक्त की तरमीम भी नक्शा लट्ठा में भी नहीं हो रखी थी। इसलिए उपरोक्त वर्णित भूमि के नक्शा लट्ठा में प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवाकर बेचान के आधार पर अलग–अलग कायम किये गये खातों का एकीकरण करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम कलराबाबेरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप खसरा नम्बर 105 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105/1 रकबा 7.8347 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है जो पत्रावली के संलग्न भू–नक्शा इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् के बेचान के आधार पर अलग–अलग खाते कायम कर तरमीम ऑनलाईन नक्शा में की गई है परन्तु लट्ठा नक्शा में उपरोक्त खसरान् की तरमीम अंकित नहीं है वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर एकीकरण किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कलराबाबेरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप खसरा नम्बर 105 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105/1 रकबा 7.8347 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को निरस्त किया जाकर एकीकरण किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)